भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 159
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 21 जुलाई, 2025
30 आषाढ़, 1947 (शक)

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाना

159. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र के शिरूर लोक सभा क्षेत्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण में लाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इस समावेशन से मंदिर का बेहतर विकास, संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार संभव होगा और स्थानीय समुदाय को इससे क्या लाभ होने की उम्मीद है;
(ग) मंदिर के रखरखाव, संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त केंद्रीय निधि सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) मंदिर को एएसआई संरक्षण में शामिल करने की प्रक्रिया का ब्यौरा और समय-सीमा क्या है और पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है;
(ड.) वर्तमान में एएसआई के संरक्षणाधीन ज्योतिर्लिंग मंदिरों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का सभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों को उनके समग्र संरक्षण के लिए एएसआई के अधीन लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.): देश में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम ,1958 के तहत दो ज्योतिर्लिंग मंदिरों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, नामत:

1. घृष्णेश्वर मंदिर, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र।
2. त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिला नासिक, महाराष्ट्र।

(च): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****